

असम-मेघालय सीमा विवाद

प्रलिस के लयः

असम-मेघालय सीमा वलवऱद, संवधऱन कऱ अनुकृषेद 263

मेन्स के लयः

अंतर-रऱज्यीय-सीमा वलवऱद और संबधतऱ मुददे

करुऱ में क्यऱँ?

हऱल ही में असम के पशुऱमऱ कऱरुबी आंगलऱंग ज़लऱऱ और मेघऱलय के पशुऱमऱ जयंतयऱ हऱलऱस के मुकरऱह गऱँव की सीमा से लगे इलऱके में असम पुलसऱ एवं भीड़ के बीच कथतऱ इऱड़प के दऱरऱन कऱह लऱगऱँ की मऱत हो गई और कई अनूय घऱयल हो गऱ।

- ये मऱतऱँ दोनों रऱज्यऱँ के बीच सीमा वलवऱद को सुलझऱने के लयऱऱ दूऱसरे करण की बऱतकऱत से पहले हुई हैं।



असम-मेघऱलय सीमा वलवऱदः

- परकऱयः
 - असम और मेघऱलय दोनों रऱज्य 885 कऱलऱमीटर लंबी सीमा सऱझऱ करतऱ हैं। फऱलऱहऱल उनकी सीमाऱँ पर 12 बदऱऱँ पर वलवऱद है।
 - असम-मेघऱलय सीमा वलवऱद ऊपरऱ तऱरऱबऱरी, गजऱंग आरकषतऱ वन, हऱहमऱ, लंगपीह, बऱरदुआर, बऱकलऱपऱरऱ, नऱंगवऱह, मऱतमुर, खऱनऱपऱरऱ-पऱलऱंगकऱटऱ, देशदेमऱरऱह ब्लऱक I एवं ब्लऱक II, खंडुली और रऱटचेरऱ के कषेतरऱँ पर है।
- पृषुठभूमऱः
 - बुरटऱशऱ शऱसन के दऱरऱन अवभऱजतऱ असम में वरुतमऱन नगऱलँड, अरुणऱकल परदेश, मेघऱलय और मज़ऱोरम शऱमलऱ थे।
 - मेघऱलय को वरुष 1972 में बनऱयऱ गऱयऱ थऱ, इसकी सीमाऱँ को वरुष 1969 के असम पुनरुगठन (मेघऱलय) अधनऱयऱम के अनुसऱर सीमऱंकतऱ कयऱ गऱयऱ थऱ, तब से सीमा की ँक अलग वऱरऱखऱ की गई है।
 - वरुष 2011 में मेघऱलय सरकरऱ ने असम के सऱथ वलवऱदतऱ 12 कषेतरऱँ की पहकऱन की थी, जो लगभग 2,700 वरुग कऱमी में फऱलऱ हुआ थऱ।

■ चिता के प्रमुख बट्टि:

- असम और मेघालय के बीच वविद का एक प्रमुख बट्टि असम के कामरूप ज़िले की सीमा से लगे पश्चिमि गारो हलिस् में लंगपीह ज़िला है।
- लंगपीह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप ज़िले का हसिसा था, लेकिन आज़ादी के बाद यह गारो हलिस् और मेघालय का हसिसा बन गया।
- असम इसे मकिरि पहाड़ियों (असम में स्थिति) का हसिसा मानता है।
- मेघालय ने मकिरि हलिस् के ब्लॉक। और II पर सवाल उठाया है, जो अब कार्बी आंगलॉग क्षेत्र असम का हसिसा है। मेघालय का कहना है कयिे तत्कालीन यूनाइटेड खासी एवं जयंतिया हलिस् ज़िलों के हसिसे थे।

■ वविद को हल करने का प्रयास:

- वर्ष 1985 में असम और मेघालय दोनों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक आधिकारिक समिति का गठन कयिा गया था।
- 1985 में, असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री के तहत, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ के तहत एक आधिकारिक समिति का गठन कयिा गया था।
- हालाँकि इससे कोई समाधान नहीं निकला।
- दोनों राज्य सरकारों ने पहले चरण में समाधान के लयिे 12 में से छह वविदति क्षेत्रों की पहचान की:
 - इसके अंतर्गत मेघालय में पश्चिमि खासी हलिस् ज़िले और असम में कामरूप के बीच तीन क्षेत्र, मेघालय में रभिोई तथा कामरूप-मेट्रो के बीच दो एवं मेघालय में पूर्वी जयंतिया हलिस् और असम में काछार थे।
- वविदति क्षेत्रों में टीमों द्वारा कई बैठकों और दौरों के बाद दोनों पक्षों ने पाँच पारस्परिक रूप से सहमत सदिधांतों के आधार पर रपिोर्ट प्रस्तुत की:
 - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, स्थानीय आबादी की जातीयता, सीमा से निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा।
- सफिराशों का एक अंतिम प्रारूप संयुक्त रूप से बनाया गया था:
 - पहले चरण में नपिटारे के लयिे 79 वर्ग कमी. वविदति क्षेत्र में से असम को 18.46 वर्ग कमी. तथा मेघालय को 18.33 वर्ग कमी. का पूर्ण नयित्रण प्राप्त होगा।
 - शेष छह चरणों के लयिे चर्चा का दूसरा दौर नवंबर 2022 के अंत तक शुरू होना है।
 - मार्च 2022 में, इन सफिराशों के आधार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कएि गए थे।
- शेष छह चरणों के लयिे चर्चा का दूसरा दौर नवंबर 2022 के अंत तक शुरू होगा।

वविद को हल करने के लयिे सुझाव:

- राज्यों के बीच सीमा वविदों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय वविद के समाधान के लयिे एक विकल्प हो सकता है।
 - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद से अपेक्षा की जाती है कविह सामान्य वषियों पर पूछताछ करने तथा सलाह देने वाले सभी राज्यों के बीच बेहतर नीति समन्वय के लयिे सफिराशें करे।
- इसी तरह क्षेत्रीय परिषदों को भी प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लयिे सामान्य चिता के सामाजिक और आर्थिक योजनाओं, सीमा वविद, अंतर-राज्य परिवहन आदि से संबंधित पर मामलों पर चर्चा करने की आवश्यकता है।
- भारत अनेकता में एकता वाला देश है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लयिे केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

सीमा वविदों में शामिल भारत के अन्य राज्य:

■ बेलागवी सीमा वविद:

- बेलागवी सीमा वविद महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच है।
- बेलागवी या बेलागवी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हसिसा है लेकिन महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा कयिा जाता है।
- वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग की।

■ ओडिशा का सीमा वविद:

- ओडिशा सीमा वविद ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच है।
- ओडिशा व आंध्र प्रदेश के बीच कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर वर्ष 1960 से वविद बना हुआ है। इसमें कोटिया ग्राम पंचायत के 21 गाँवों को लेकर वविद चल रहा है।
- वर्ष 2006 में ओडिशा ने अंतर-राज्यीय नदी जल वविद (ISRWD) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय नदी वंसधारा (Inter-State River Vamsadhara) से संबंधित आंध्र प्रदेश के साथ चल रहे अपने जल वविदों के बारे में एक शिकायत दर्ज कराई।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. अंतर-राज्य जल वविदों का समाधान करने में सांविधानिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? वविचना कीजिये। (मेन्स- 2013)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/assam-meghalaya-border-dispute-1>

